कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2859 / 10 केस कोर्ट केस / 2023–24, रामनगर, दिनांक, दिसम्बर 19, ,2023

सेवा में,

डिप्टी रजिस्ट्रार,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रधान बेंच, नई दिल्ली।

विषय : **ओ0ए0 नं0–730 / 2023 टाइटिल "वन विभाग के संरक्षण में हो रहा था अवैध मोरंग खनन, एस0डी0एम0 की कार्यवाही तो डी0एफ0ओ0 ने भी शुरु की जाँच" के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–730 / 2023 नोटिस दिनांक 07.12.2023 व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या–को0के0 1380 / 6ई–2 (एन0जी0टी0), दिनांक 14.12.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में निवेदन के साथ अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ रेंज द्वारा रेंज केस संख्या 10 / 2023–24 दिनांक 02.12.2023 के माध्यम से सूचित किया गया कि दिनांक 02.12.2023 को वन कर्मियों को मुखवीर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या–14ब में जे0सी0बी0 मशीन द्वारा मोरंग का अवैध खुदान कर ट्रैक्टरों द्वारा ढुलान कार्य किया जा रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास कर वन कर्मी मौके पर पहुँचे तो पाया कि आरक्षित वन भूमि में अवैध मोरंग खनन किया गया है। मौके पर संज्ञान में आया कि उक्त वन अपराध में संलिप्त जे0सी0बी0 मशीन व तीन ट्रैक्टर ट्राली को नायब तहसीलदार द्वारा पकड़कर नौगढ़ थाने में सुपुर्द किया गया है।

चूँकि प्रश्नगत वन अपराध भारतीय वन अधिनियम–1927 (यथा संशोधित–2000) की सुसंगत प्राविधानों का उल्लंघन है, जिसके सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज द्वारा उपरोक्त रेंज केस इजरा करते हुए अवैध खनन में संलिप्त वाहनों को अपनी अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार कार्यवाही आरम्भ किया गया। विषयक प्रकरण का बिन्दुवार विवरण निम्न प्रकार है –

1. शिकायती स्थल भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–20 के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र नौगढ़ रेंज की नौगढ़ उत्तरी बीट के पण्डी वन ब्लाक क0नं0–14 ब में एक जे0सी0बी0 मशीन द्वारा मोरंग का खनन कर तीन ट्रैक्टरों पर लादा जा रहा था। मौके पर नायब तहसीलदार व उनके हमराहियों को देखकर खननकर्ता पलायित हो गये। तीन ट्रैक्टरों पर लदी मोरंग व जे0सी0बी0 मशीन को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा नौगढ़ थाने में सुपुर्द किया गया।

2. सम्पूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज द्वारा नौगढ़ थाने में उपस्थित होकर उपरोक्त तीन ट्रैक्टरों पर लदी मोरंग व एक जे0सी0बी0 मशीन को भारतीय वन अधिनियम–1927 के सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु अपनी अभिरक्षा में लिया गया। सुपुर्दगीनामे की छायाप्रति संलग्न है।

3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज द्वारा उपरोक्त वाहनों को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए नियमानुसार एच–2 केस संख्या–10 / 2023–24, दिनांक 02.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** भारतीय वन अधिनियम–1927 की अन्तर्गत धारा–26 इजरा किया गया,

जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–2570/10–केस, दिनांक 02.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज को उपरोक्त वाहनों के स्वामित्व की जानकारी प्राप्त कर भारतीय वन अधिनियम–1927 यथा संशोधित (संशोधन–2000) की धारा–52 के तहत अधिहरण की कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. उपरोक्त के इतर प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–2578/26–25, दिनांक 02.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज को पृथक से विषयक प्रकरण की जाँच कर जाँच रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज द्वारा अपने पत्र संख्या–286/10–1/2023–24, दिनांक 05.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी। उक्त रिपोर्ट में शिकायती स्थल नौगढ़ रेंज के नौगढ़ सेक्शन अन्तर्गत उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी वन ब्लाक कक्ष संख्या–14 ब जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, जी0पी0एस0 लोकेशन संख्या अक्षांश–24 51 47.20, देशान्तर–83 17 32.80 में लम्बाई–26.50 र0मी0 चौड़ाई 11.50 मीटर, गहराई–1.90 मीटर एवं उपरोक्त क्षेत्रान्तर्गत ही L प्रकृति के दूसरे स्थान पर लम्बाई–09.00 र0मी0 चौड़ाई 3.20 मीटर, गहराई–2.00 मीटर क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से खुदाई कर मोरंग निकाला जाना प्रकाश में आया। उपरोक्त क्षेत्र में किये गये खुदान कार्य के क्षेत्रफल को संज्ञान में लेकर लगभग 636.00 घ0मी0 मोरंग का खुदान कर निकाला जाना स्पष्ट हुआ, जिसके बीट प्रभारी श्री मटर (आदेश पालक) एवं अनुभाग अधिकारी नौगढ़ (सदर) जिसके प्रभारी श्री केशव सिंह यादव, वन दरोगा हैं।

5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज की उपरोक्त रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–2665, 2666 एवं 2667/10–केस, दिनांक 07.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से क्रमशः शिकायती स्थल से सम्बन्धित सेक्शन के अनुभाग अधिकारी, बीट प्रभारी एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ रेंज से स्पष्टीकरण माँगा गया।

6. क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–83/10–केस, दिनांक 09.12.2023 के माध्यम से अवैध खनन में संलिप्त उपरोक्त वाहनों के स्वामियों का नाम व पता ज्ञात कर तथा उपरोक्त रेंज केस संख्या–10/2023–24 में भारतीय वन अधिनियम–1927 यथा संशोधित–2000 की धारा–41, 42 व 52क को जोड़ते हुए अधिहरण का प्रस्ताव प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी को प्रेषित किया गया।

7. प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी द्वारा अपने कार्यालय में अधिहरण वाद संख्या–75/2023 पंजीकृत कर वाहन स्वामियों को नोटिस दिनांक 10.12.2023 निर्गत की गयी है। निर्गत नोटिस की छायाप्रति संलग्न है। इसके अतिरिक्त व्यवहार न्यायालय, मा0 सिविल जज (जू0डि0), चकिया, चन्दौली के न्यायालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2751/10–केस, दिनांक 13.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में उपरोक्त वाद जो प्रक्रियाधीन है, उक्त में

क्रमशः.......................3

संलिप्त प्रश्नगत वाहन को भारतीय वन अधिनियम–1927 यथा संशोधित–2000 की धारा–52डी के तहत मुक्त न किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में मा0 अधिकरण की नोटिस के साथ संलग्न छायाचित्रों के सापेक्ष उपरोक्तानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

प्रार्थना

उपरोक्त तथ्यात्मक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों पर आधारित जबाबदेही पर मा0 अधिकरण से प्रार्थना है कि मा0 अधिकरण की नोटिस दिनांक 07.12.2023 के पूर्व ही इस प्रकरण में विभागीय कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है तथा उक्त में नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसी स्थिति में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली से विषयक प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दिलीप कुमार),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : 2859 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ महोदय को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ महोदय को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश कानपुर उनके कार्यालय पत्र संख्या–1209/10–1, दिनांक 14.12.2023 के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण में उच्च स्तर से श्री भँवरपाल सिंह जादौन, स्थायी पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को विषयक वाद की पैरवी हेतु आबद्ध कराने की कृपा करें।

(दिलीप कुमार),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक : 2859 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्रकरण में सुनवायी की तिथि दिनांक 21.12.2023 को समस्त अभिलेखों के साथ श्री भँवरपाल सिंह जादौन, स्थायी पैनल अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशन में विभागीय पक्ष रखा जाना सुनिश्चित करें।

(दिलीप कुमार),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

मा० सिविल जज (जू०डि०),

प्रपत्र एच-2

क्रम संख्या........

Cr. No. 112/2023-24, Re No. 10/2023-24 (नौगढ़) 1903

वन विभाग ...उत्तर – प्रदेश.......परिधि (सर्किल).....सोनभद्र.......खण्ड (डिविजन) काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर-वाराणसी

वन्य अपराध भा०व०अधि० 1927 की धारा 26 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं०. नौगढ़ रेंज केस संख्या - 10/2023-24 दिनांक 02/12/2023

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
① नन्दू पुत्र रामसुन्दर नि० ग्राम-पड़री; पो० रामपुर, सोनभद्र
② भरत पुत्र बलिराम यादव नि० ग्राम-टेनुआ, रामपुर सोनभद्र
③ चन्द्रजीत पुत्र महेन्द्र यादव नि० ग्राम टेउआ, रामपुर सोनभद्र
④ कपिलदेव पुत्र ओमप्रकाश नि० ग्राम कमीबांध देवपुर नौगढ़ जनपद-चन्दौली
⑤ सुरज पुत्र बलिराम यादव नि०-ग्राम टेउआ, रामपुर सोनभद्र

2. साक्षी का नाम स्वयं
श्री गौरव पाठक व०र०
श्री गुरुदेव सिंह व०र०
श्री मटर, आदेश पालक

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
महोदय,
आज दिनांक-02.12.2023 को समय लगभग शाम 04:00 बजे मुखबीर द्वारा पता चला कि उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14 ब मे JCB मशीन द्वारा मोरंग का अवैध खुदान कर ट्रैक्टरों द्वारा ढुलान कार्य किया जा रहा है, सूचना पर विश्वास कर मौके पर पहुँचा गया तो पाया कि आरक्षित वन भूमि मे अवैध मोरंग खनन किया गया है, इस वन अपराध / अवैध खनन मे संलिप्त JCB मशीन व तीन ट्रैक्टर मय ट्राली को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा पकड़कर नौगढ़ थाने मे बन्द करा दिया है, चूंकि उक्त अवैध खनन आरक्षित वन भूमि मे किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त JCB मशीन एवं तीनों ट्रैक्टर मय ट्राली को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा रात्रि लगभग 08:15 बजे क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया, जिसे लाकर रेंज कार्यालय नौगढ़ परिसर मे खड़ा कर दिया गया है।
अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. मूल्य खनन की गयी मोरंग की मात्रा =>
① (26.50 X 11.50 X 1.90) मी० => 579.025 घ०मी०
② (9.0 X 3.20 X 2.0) मी० => 57.600 घ०मी०
योग 636.625 घ०मी०

प्रार्थी
पप्पू सोनकर
(व०र०)
नौगढ़ रेंज
दि० 2-12-2023

5. चालान और अनुसंधान (इनवेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन
सेवा में, - प्र०व०अ० महोदय की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित।

① एक अदद JCB मशीन संख्या => UP 64 BT 8982
② तीन अदद ट्रैक्टर मय ट्राली सहित ->
I => लाल रंग की महिन्द्रा 475 DI XP PLUS
(चेचिस नं = MBNGAAJKAPRK01061, इंजन नं => RNJ5NDA1685)
II => नीले रंग की स्वराज 744 XT
(चेचिस नं = MBNBU53AAPTG68950, इंजन नं => EZ.4001/SFG27331)
III => नीले रंग की स्वराज 742 XT
चेचिस नं => MBNBT53ABNCF41899
इंजन नं => DC-3009/SEF07277

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

छायाप्रति प्रमाणित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
नौगढ़ रेंज
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2570/ 10–केस रामनगर, दिनांक, दिसम्बर 02, ,2023

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकरी,

नौगढ़ रेंज।

विषय : नौगढ़ रेंज केस संख्या– 10/2023–24 अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम–1927(यथा संशोधित 2000) की धारा–26 के तहत जब्त 01 जे0सी0बी एवं 03 ट्रैक्टर मय ट्राली के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक रेंज केस संख्या–10/2023–24 का सन्दर्भ ले जिसके माध्यम से आप द्वारा सूचित किया गया है कि नौगढ़ रेंज के उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या–14ब में अवैध मोरंग खुदान एवं अवैध अभिवहन में संलिप्त 01 जे0सी0बी0 तथा 03 ट्रैक्टर को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा पकड़कर थाना में बन्द किया गया जिसे अपनी अभिरक्षा में लेते हुए भारतीय वन अधिनियम–1927(यथा संशोधित 2000) की धारा–26 के तहत अपराध पंजीकृत कर नौगढ रेंज केस संख्या 10/2023–24 दिनांक 02.12.2023 इजरा किया गया है।

विषयक प्रकरण में निर्देशित किया जाता है कि जब्त उक्त वाहनों के स्वामित्व की जानकारी प्राप्त कर तत्काल वाहनों के अधिहरण की कार्यवही हेतु नियमानुसार भारतीय वन अधिनियम 1927 (संशोधन–2000) की धारा–52 के तहत सुस्पष्ट प्रस्ताव सक्षम अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर, वाराणसी को प्रेषित करना सुनश्चित करें ताकि प्रकरण मे अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।

(रणवीर मिश्र)

प्रभागीय वनाधिकारी,

काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,

वाराणसी।

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज, नौगढ़, चन्दौली

पत्रांक : 83 /10–केस नौगढ़ रेंज, दिनांक, दिसम्बर 07 ,2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
काशी वन्य जीव प्रभाग,
रामनगर, वाराणसी।

विषय : नौगढ़ रेंज केस संख्या–10/2023–24 अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम–1927 (यथा संशोधित–2000) की धारा–26 के तहत जब्त 01 जे0सी0बी0 एवं 03 ट्रैक्टर के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र संख्या–2570/10–केस, दिनांक 02.12.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि दिनांक 02.12.2023 को शाम लगभग 04:00 बजे उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या–14ब में अवैध मोरंग खुदान एवं अवैध ढुलान में संलिप्त 01 जे0सी0बी0 एवं 03 ट्रैक्टर को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा पकड़कर थाने में लाया गया, जिसे विभागीय अभिरक्षा में लेते हुए भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–26 के तहत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कर नौगढ़ रेंज केस संख्या–10/2023–24 दिनांक 02.12.2023 पंजीकृत किया गया। प्रकरण के प्रारम्भिक जाँच में उक्त वाहनों के अवैध खनन/अभिवहन में संलिप्तता पाये जाने पर भारतीय वन अधिनियम की धारा–41, 42 व 52क जोड़ते हुए वाहन स्वामी की जानकारी प्राप्त की गई। जिनका विवरण निम्नवत् है –

क्र0 सं0	वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन संख्या	वाहन स्वामी का नाम व पता
1	जे0सी0बी0–यू0पी0 64 बी.टी.–8982	श्री विवेकानन्द पुत्र श्री गुप्तेश्वर, निवासी ग्राम–खलियारी रायपुर, जनपद–सोनभद्र।
2	ट्रैक्टर–यू0पी0 64 ए.डब्ल्यू.–9541	श्री जुगलेश कुमार पुत्र श्री शम्भू, निवासी ग्राम–कराही रायपुर, जनपद–सोनभद्र।
3	ट्रैक्टर–यू0पी0 64 ए.यू.– 0654	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवबहादुर सिंह, निवासी ग्राम–तेन्दुआ रायपुर, जनपद–सोनभद्र।
4	ट्रैक्टर–इंजन नं0–RNJ5NDA1685 चेसिस नं0–MBNGAAJKAPRK01061	श्रीमती कौशिल्या देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश, निवासी ग्राम–देवखत (कैमावॉध) नौगढ़, जनपद–चन्दौली।

अतः महोदय से अनुरोध करना है कि उक्त वन अपराध में संलिप्त उपरोक्त वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में अधिहरित करने की कृपा करें।

संलग्नक–एच–2 केस, सीजर रिपोर्ट, फर्द बरामदगी की छायाप्रति।

भवदीय,

(संजय श्रीवास्तव),
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नौगढ़ रेंज,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

प्रपत्र एच-2 क्रम संख्या........

D. No. 117/2023-24, R. No. 10/2023-24 (नौगढ़) 1903 काशी वन्य

वन विभाग उत्तर – प्रदेश परिधि (सर्किल) मिर्जापुर खण्ड (डिविजन) जीव प्रभाग रामनगर-वाराणसी

वन्य अपराध भा० वन अधि० 1927 की धारा 26 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० नौगढ़ रेंज केस संख्या – 10/2023-24 दिनांक 02/12/2023

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
   ① नन्दू पुत्र रामसुन्दर नि० ग्राम–पड़री, पो० रायपुर, सोनभद्र
   ② भरत पुत्र बलिराम यादव नि० ग्राम–टेनुआ, रायपुर सोनभद्र
   ③ चन्द्रजीत पुत्र महेन्द्र यादव नि० ग्राम टेनुआ, रायपुर सोनभद्र
   ④ कपिलदेव पुत्र ओमप्रकाश नि० ग्राम कम्हिया, देवपुर नौगढ़ जनपद चन्दौली
   ⑤ सुरज पुत्र बलिराम यादव नि०-ग्राम टेनुआ, रायपुर सोनभद्र

2. साक्षी का नाम स्वयं
   श्री गौरव पाठक व०र०
   श्री सुखदेव सिंह व०र०
   श्री मटर, आदेश पालक

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक

महोदय,
आज दिनांक–02.12.2023 को समय लगभग शाम 04:00 बजे मुखबीर द्वारा पता चला कि उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14 ब मे JCB मशीन द्वारा मोरंग का अवैध खुदान कर ट्रैक्टरों द्वारा ढुलान कार्य किया जा रहा है, सूचना पर विश्वास कर मौके पर पहुँचा गया तो पाया कि आरक्षित वन भूमि मे अवैध मोरंग खनन किया गया है, उस वन अपराध / अवैध खनन मे संलिप्त JCB मशीन व तीन ट्रैक्टर मय ट्राली को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा पकड़कर नौगढ़ थाने मे बन्द करा दिया है, लेकिन उक्त अवैध खनन आरक्षित वन भूमि मे किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त JCB मशीन एवं तीनों ट्रैक्टर मय ट्राली को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा रात्रि लगभग 08:15 बजे क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया, जिसे लाकर रेंज कार्यालय नौगढ़ परिसर मे खड़ा कर दिया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. मूल्य खनन की गयी मोरंग की मात्रा ⇒
   ① (26.50 × 11.50 × 1.90) मी० ⇒ 579.025 घ० मी०
   ② (9.0 × 3.20 × 2.0) मी० ⇒ 57.600 घ० मी०
   योग: 636.625 घ० मी०

प्रार्थी
[signature]
पप्पू सोनकर
(व० र०)
नौगढ़ रेंज
दि० 2-12-2023

TRC, आवश्यक, उ०व०अ० 3/12/23

5. चालान और अनुसंधान (इनवेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन
सेवा मे, - प्र०व०अ० महोदय की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित।
[signature]

① एक अदद JCB मशीन संख्या ⇒ UP 64 BT 8982
② तीन अदद ट्रैक्टर मय ट्राली सहित →
   I ⇒ लाल रंग की महिन्द्रा 475 DI XP PLUS
   (चेचिस नं = MBNGAAJKAPRK05061, इंजन नं ⇒ RNJ5NDA1685)
   II ⇒ नीले रंग की स्वराज 744 XT
   (चेचिस नं = MBNBU53AAPTG68950, इंजन नं ⇒ EZ.4001/SFG27331)
   III ⇒ नीले रंग की स्वराज 742 XT
   चेचिस नं ⇒ MBNBT53ABNCF41899
   इंजन नं ⇒ DC-3009/SEF07277

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

छायाप्रति प्रमाणित
[signature]
क्षेत्रीय वन अधिकारी
नौगढ़ रेंज
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर-वाराणसी

सीजर रिपोर्ट

मा० न्यायालय सिविल जज (जू०डी०) चकिया- चन्दौली
अपराध संख्या 10/2023-24

धारा भा०व० अधि०-1927 की धारा- 26
थाना नौगढ़
रेंज नौगढ़
जिला चन्दौली

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि उपरोक्त केस में धारा भारतीय वन अधिनियम की धारा- 26
अधिनियम 1927 के अर्न्तगत निम्नलिखित वस्तुयें सीज की गयी।

<u>सीज की गयी वस्तुओं का विवरण</u>

1- जे०सी०बी० (एक अदद) नम्बर- UP64 BT 8982

2- लाल रंग की महिन्द्रा 475 DI X P PLUS ट्रैक्टर मय ट्राली सहित।
चेचिस नं०- MBNGAAJ KAPRK01061, इंजन नं०- RNJ 5 NDA 1685

3- नीले रंग की स्वराज 744 X T ट्रैक्टर मय ट्राली सहित।
चेचिस नं०- MBNBU53AAPTG 60950, इंजन नं०- EZ 4001/SFG 27331

4- नीले रंग की स्वराज 742 XT ट्रैक्टर मय ट्राली सहित।
चेचिस नं०- MBNBT53ABNCF41699, इंजन नं०- DC3001/SEF 02577

नाम व पता अभियुक्तगण–
1- नन्दू पुत्र रामसुन्दर, ग्राम- पड़री, पो०- रायपुर, जिला- सोनभद्र
2- भरत पुत्र बलिराम यादव, ग्राम- तेन्दुआ, पो०- रायपुर, जिला- सोनभद्र
3- चन्द्रजीत पुत्र महेन्द्र यादव, ग्राम- तेन्दुआ, पो०- रायपुर, जिला- सोनभद्र
4- कपिलदेव पुत्र ओमप्रकाश, ग्राम- कर्माबांध देवखर पो०- नौगढ़ जिला- चन्दौली
5- सूरज पुत्र बलिराम यादव, ग्राम- तेन्दुआ पो०- रायपुर जिला- सोनभद्र

सीजर रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान्‌जी के समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

धाराप्राप्ट प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नौगढ़ रेंज।

प्रतिलिपि–
1. प्रभागीय वन अधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपप्रभागीय वन अधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नौगढ़ रेंज।

प्रपत्र–6

भारतीय वन (उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम 2001 की
धारा 52(क) (1) के अन्तर्गत सूचना

न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक / उपनिदेशक / उपवनसंरक्षक

सरकार ......उ0प्र0...... बनाम ① विवेकानन्द आदि
② जुगलेश कुमार
③ महेन्द्र सिंह
④ कौशिल्या देवी

धारा – 26, 41, 42, 52 क
रेंज केस संख्या 10/2023-24
रेंज का नाम नौगढ़ रेंज
प्रभाग का नाम काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी

प्रतिपक्षीगण के नाम व पता

1. विवेकानन्द पुत्र शुप्तेश्वर नि० – खालियारी, रायपुर – सोनभद्र (JCB संख्या – UP 64 BT 8982)
2. जुगलेश कुमार पुत्र शम्भू नि० – करारी, रामपुर – सोनभद्र (ट्रैक्टर संख्या – UP 64 AW 9541)
3. महेन्द्र सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह नि० – टेन्दुआ रायपुर सोनभद्र (ट्रैक्टर संख्या – UP 64 AU 0654)
4. कौशिल्या देवी पत्नी ओमप्रकाश नि० – देवघाट (कैमूर) नौगढ़ चन्दौली (ट्रैक्टर इंजन नं. – RNJ5NDA1685) (चेसिस नं. – MBNGAAJKAPRK 01061)
5.

निवेदन है कि दिनांक 02-12-2023 समय लगभग शाम 4:00 स्थान उत्तरी नौगढ़ बीट पण्डी-14 a थाना नौगढ़ जिला चन्दौली को (अपराध का संक्षिप्त विवरण) आरक्षित वन भूमि में मोरंग खुदान कर अवैध खुदान में उपरोक्त वाहन का उपयोग वन उपज से संबंधित अपराध में किया गया। उपरोक्त वाहन नें बरामद वन उपज सरकार की सम्पत्ति है। वाहन एवं अन्य बरामद वस्तुओं का उपयोग वन अपराध में किया गया है। वाहन व अन्य सम्पत्ति को भारतीय वन अधिनियम की धारा 26, 41, 42, 52क के अपराध के तहत अभिग्रहित किया गया है। उपरोक्त वाहन का प्रयोग वाहन स्वामी की जानकारी में उसके चालक एवं अन्य अभियुक्तों द्वारा उक्त वन अपराध में किया गया है। उपरोक्त घटना / अपराध .... रेंज के रेंज केस संख्या – 10/2023-24 द्वारा पंजीबद्ध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वाहन संख्या 3 ट्रैक्टर तथा अन्य बरामद वस्तुओं को उ0प्र0 राज्य के पक्ष में अधिहरित करने की कृपा करे।

(क्षेत्रीय वन अधिकारी)
नौगढ़ रेंज
काशी वन्य जीव प्रभाग
रामनगर–वाराणसी

संलग्नकः

1. एच–2 केस की प्रमाणित प्रति
2. फर्द बरामदगी की प्रमाणित प्रति
3. सीजर की प्रति

नोटः– जो लागू न हो उसे काट दें।

फर्द बरामदगी : जब अभियुक्तिगण मौके से भागने में सफल रहे हों

दिनांक 02-12-2023 को समय लगभग सायं 04:00 बजे, स्थान उतरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक क०सं०-14ब थाना नौगढ़ जिला चन्दौली निम्न पते के अभियुक्तगण आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध रूप से आरक्षित वन भूमि में मोरम खुदान कर कर रहे थे। अभियुक्ति/अभियुक्तगण वन कर्मियों को देखकर मौके से भाग गये थे। अवैध खुदान

नाम व पता अभियुक्तगण–

1. नन्दू पुत्र रामसुन्दर नि० ग्राम- पड़री पो०-रायपुर जनपद-सोनभद्र
2. भरत पुत्र बलिराम यादव नि० ग्राम- तेन्दुआ पो०रायपुर जनपद-सोनभद्र
3. चन्द्रजीत पुत्र महेन्द्र यादव नि० ग्राम- तेन्दुआ पो०रायपुर जनपद-सोनभद्र
4. कपिलदेव पुत्र ओमप्रकाश नि० ग्राम - देवखत कैमाखंड पो० नौगढ़ जनपद-चन्दौली
5. सूरज पुत्र बलिराम यादव नि० ग्राम - तेन्दुआ, पो०- रायपुर जनपद-सोनभद्र

बरामद वस्तुओं का विवरण– एक अदद JCB संख्या- UP64-BT 8982
तीन अदद ट्रैक्टर - (i) लाल रंग की महिन्द्रा 475 DI XP PLUS (इंजन नं.-RNJ5NDA1685) मय ट्राली खाली
(ii) नीले रंग की स्वराज 744 XT मय ट्राली खाली चेचिस-MBNGAAJKAPRK01061
इंजन नं.-EZ4001/SFG27331
चेचिस - MBNBU53AAPTG18950

फर्द बरामदगी मौके पर तैयार की गयी। बरामदगी अचानक की गयी तथा जनता का कोई व्यक्ति मौके पर उपस्थित नहीं था/बरामदगी के समय उपस्थित जनता ने साक्ष्य देने व हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

(iii) नीले रंग की स्वराज 742 XT मय ट्राली खाली (इंजन नं.-DC 3009/SEF 07277
(चेचिस नं.-MBNBT53ABNCF41899)

............(signature)............
फर्द बरामदगी तैयार करने वाले अधिकारी
का नाम, पद एवं हस्ताक्षर

दिनांक : 02.12.2023

नोट : जो लागू न हो उसे काट दें।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Transport Department SONBHADRA

FORM 23

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No	: UP64BT8982	Registration Date	: 06-Oct-2023
Description of Vehicle	: CONSTRUCTION EQUIPMENT VEHICLE (COMMERCIAL)	Purpose For Printing RC	:NEW
Dealer's Name & Address	: RAJ SONS AUTO PVT LTD, S 1/3 A-K-1 RAMA SHANKAR NAGAR, COLONY SHIVPUR VNS. , . 197-221003		
Owner Name	: VIVEKANAND	Son/wife/daughter of	: S/O - GUPTESHVAR
Full Address: (Permanent)	: KHALIYARI, RAYPUR, , SONBHADRA, UTTAR PRADESH-231213		
Full Address: (Temporary)	: KHALIYARI, RAYPUR, , SONBHADRA-UTTAR PRADESH-231213		
Fitness UpTo	: 05-Oct-2025	Tax UpTo	: 31-Aug-2024
Owner Serial No	: 1		

Detailed Description

Class of Vehicle	: CONSTRUCTION EQUIPMENT VEHICLE (COMMERCIAL)	Link Vehicle No	:
Ownership	: INDIVIDUAL	Nominee Name	: GUPTESHVAR PANDEY
Relationship with the Nominee	: Father	Norms	: CEV STAGE IV
Maker's Name	: JCB INDIA LIMITED		
Front HSRP No	: AA1026955016	Rear HSRP No	: AA2067092629
Type of Body	: BACKHOE LOADER	Month/Year of Manuf.	: 09/2023
No of Cylinders	: 4	Chassis No	: RAJ3DXS4C03330240
Engine No	: H00393556	Fuel	: DIESEL
Horse Power(BHP)	: 73.70	Cubic Capacity	: 4399.00
Maker's Classification	: 3DX PLUS-2WD	Wheel base	: 2170
Seating Cap(in all)	: 1	Standing Cap	: 0
Sleepar Cap	: 0	Unladen Wt (kgs)	: 7510
Colour	: YELLOW	Laden/GV Wt (kgs)	: 0
Other Criteria	:	AC Fitted	: NO
Vehicle Purchase As	: Fully Built		

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf. : As Regd. :

	Description	Weight(in kgs)
a) Front:	9.00X16	1630
b) Rear:	14.00X25 -12 PR	5880
c) Other:		0
d) Tandem:		0

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of CHOLAMANDALAM INV.& FIN. COM. LTD., AMBIKAMOTOR BUILDING, MURDHAVA, RENUKOOT, Sonbhadra, Uttar Pradesh-231213 w.e.f. 04-Oct-2023.

Purchase dt	: 30-Sep-2023	Sale Amt	: 3335379/-
OTT Date	: 30-Sep-2023	Amount/Rcpt No	: 15120 / UP64D23100000226
TaxUpTo	: 31-Aug-2024	Vehicle is Govt./ Pvt.	: PRIVATE
Tax Exempted or Not	: NOT EXEMPTED	Date of Approval	: 09-Oct-2023

Other State/Transfer/Conversion Details

Previous Owner	:	Previous RegNo	:
Old State	:	Entry Date	:
Transfer Date	:	Conversion Date	:

This certificate is valid from 06-Oct-2023 to 05-Oct-2038

कर पंजीयन अधिकारी
परिवहन विभाग
सोनभद्र

P 3629022

10/17/2023, 5

2

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Transport Department SONBHADRA
FORM 23
CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No	: UP64AW9541	Registration Date	: 07-Nov-2023
Description of Vehicle	: AGRICULTURAL TRACTOR	Purpose For Printing RC	:NEW
Dealer's Name & Address	: VINDHAYA AUTO SALES, PIPARI ROAD, SONEBHADRA, . . 200-231216		
Owner Name	: JUGLESH KUMAR	Son/wife/daughter of	: SHAMBHU
Full Address: (Permanent)	: KARAHI, RAIPUR, ROBERTSGANJ, SONBHADRA, UTTAR PRADESH-231213		
Full Address: (Temporary)	: KARAHI, RAIPUR, ROBERTSGANJ, SONBHADRA-UTTAR PRADESH-231213		
Fitness UpTo	: 06-Nov-2038	Owner Serial No	: 1

Detailed Description

Class of Vehicle	: AGRICULTURAL TRACTOR	Link Vehicle No	:
Ownership	: INDIVIDUAL	Norms	: Bharat (Trem) Stage III A
Maker's Name	: MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED (SWARAJ DIVISION)		
Front HSRP No	: BA2107274628	Rear HSRP No	: BA2314269708
Type of Body	: AGRICULTURE TRACTOR	Month/Year of Manuf.	: 05/2023
No of Cylinders	: 3	Chassis No	: MBNBU53AAPCF66584
Engine No	: EZ 4001/SFF23862	Fuel	: DIESEL
Horse Power(BHP)	: 49.31	Cubic Capacity	: 3478.20
Maker's Classification	: SWARAJ 744 XT	Wheel base	: 2100
Seating Cap(in all)	: 1	Standing Cap	: 0
Sleepar Cap	: 0	Unladen Wt (kgs)	: 2070
Colour	: BLUE	Laden/GV Wt (kgs)	: 2810
Other Criteria	:	AC Fitted	: NO
Vehicle Purchase As	: Fully Built		

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf. : As Regd. :

Description	Weight(in kgs)
a) Front:	
b) Rear:	
c) Other:	
d) Tandem:	

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of M&M FINANCIAL SERVICES LTD., ROBERTSGANJ, . . Sonbhadra, Uttar Pradesh-231216 w.e.f. 06-Nov-2023.

Purchase dt	: 06-Nov-2023	Sale Amt	: 854533/-
OTT Date	:	Amount/Rcpt No	: /
Vehicle is Govt./ Pvt.	: PRIVATE	Tax Exempted or Not	: EXEMPTED
Date of Approval	: 07-Nov-2023		

Other State/Transfer/Conversion Details

Previous Owner	:	Previous RegNo	:
Old State	:	Entry Date	:
Transfer Date	:	Conversion Date	:

This certificate is valid from 07-Nov-2023 to 06-Nov-2038

Date : 14-Nov-2023 14:00:12

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Signature of Registering Authority
Date : 14-Nov-2023

ox https://vahan.parivahan.gov.in/vahan/vahan/ui/reports/formPap

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Transport Department SONBHADRA

FORM 23

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No	: UP64AU0654	Registration Date	: 26-Sep-2022
Description of Vehicle	: AGRICULTURAL TRACTOR	Purpose For Printing RC	:NEW
Dealer's Name & Address	: VINDHAYA AUTO SALES, PIPARI ROAD, SONEBHADRA, , , -		
Owner Name	: MAHENDRA SINGH	Son/wife/daughter of	: SHIVBAHADUR SINGH
Full Address: (Permanent)	: TENDUA, RAIPUR, ROBERTSGANJ, SONBHADRA, UTTAR PRADESH-231213		
Full Address: (Temporary)	: TENDUA, RAIPUR, ROBERTSGANJ, SONBHADRA-UTTAR PRADESH-231213		
Fitness UpTo	: 25-Sep-2037	Owner Serial No	: 1

Detailed Description

Class of Vehicle	: AGRICULTURAL TRACTOR	Link Vehicle No	:
Ownership	: INDIVIDUAL	Norms	: Bharat (Trem) Stage III A
Maker's Name	: MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED (SWARAJ DIVISION)		
Front HSRP No	: BA2105011476	Rear HSRP No	: BA2310134653
Type of Body	: AGRICULTURE TRACTOR	Month/Year of Manuf.	: 05/2022
No of Cylinders	: 3	Chassis No	: MBNBT53ABNCF41899
Engine No	: DC.3009/SEF07277	Fuel	: DIESEL
Horse Power(BHP)	: 44.35	Cubic Capacity	: 3136.00
Maker's Classification	: SWARAJ 742XT	Wheel base	: 2070
Seating Cap(in all)	: 1	Standing Cap	: 0
Sleepar Cap	: 0	Unladen Wt (kgs)	: 2040
Colour	: BLUE	Laden/GV Wt (kgs)	: 2780
Other Criteria	:	AC Fitted	: NO
Vehicle Purchase As	: Fully Built		

Additional Particulars of all transport vehicles other than motor cabs (Gross Vehicle Weight)

By Manuf.	:	As Regd.	:

	Description	Weight(in kgs)
a) Front:		
b) Rear:		
c) Other:		
d) Tandem:		

The motor vehicle above described is subject to Hypothecation in favour of M&M FINANCIAL SERVICES LTD., ROBERTSGANJ, , , Sonbhadra, Uttar Pradesh-231216 w.e.f. 22-Aug-2022.

Purchase dt	: 22-Aug-2022	Sale Amt	: 722877/-
OTT Date	:	Amount/Rcpt No	: /
Vehicle is Govt./ Pvt.	: PRIVATE	Tax Exempted or Not	: EXEMPTED
Date of Approval	: 15-Nov-2022		

Other State/Transfer/Conversion Details

Previous Owner	:	Previous RegNo	:
Old State	:	Entry Date	:
Transfer Date	:	Conversion Date	:

This certificate is valid from 26-Sep-2022 to 25-Sep-2037

Date : 23-Nov-2022 17:05:51

Taxation Particulars / Advance Registration Mark Fee Details

Signature of Registering Authority

Date : 26-Nov-2022

सोनभद्र

23/11/22

N 4724067

RELIANCE GENERAL INSURANCE | Live Smart

reliancegeneral.co.in
022-4890 3009 (Paid)
1800 3009 (Toll Free)
74004 22200 (WhatsApp)

Risk Assumption Letter

Dear Mrs. KOUSHLYA WO OM PRAKASH

Thank you for choosing Reliance General Insurance.
Please find enclosed policy no.: 110822323430005871 which has been issued based on the details declared by the applicant.

Insured Vehicle Details			
Registration No.	NEW	Mfg. Month & Year	JAN-2023
Make / Model & Variant	Mahindra/475/DI Xp Plus	CC / HP	44
Engine No./Chassis No.	RNJ5NDA1685/MBNGAAJKAPRK01061	GVW	1480
Type of Body / LCC(excluding driver)	NA/0	Manufacturer fully build in	Yes
RTO Location	UTTAR PRADESH - Chandauli	Total Premium ₹	11472.00
Vehicle subtype	AGRICULTURAL TRACTORS	IDV ₹	703000.00

Insured's Declared Value (IDV)			
Chassis IDV ₹	0.0	Non Electrical Accessories ₹	0.0
Body IDV ₹	0.0	CNG / LPG Kit ₹	0.0
Vehicle IDV ₹	703000	Trailer / Side Car ₹	0.0
Electrical / Electronic Accessories ₹	0.0	Total IDV ₹	703000.00

Previous Policy Details		
Previous Year Policy No.	Period of Insurance	Previous Policy-Claim Status
	From : 01-01-1900 To : midnight	☐ Yes ☐ No

YOU HAVE OPTED FOR THE FOLLOWING COVERS

Standard Cover — Vehicle Own Damage + Third Party Coverage

- ☑ Electrical/electronic accessories
- ☐ Non-electrical accessories
- ☐ Bi-fuel kits comprising LPG/CNG systems

Add-on Covers

☐	Additional towing Charges	Provides cover for towing charges over and above the standard policy guideline as per the cover opted by customer (Sum Insured - ₹ 0.0/-).
☐	Emergency Hotel Accommodation	Provide allowance towards the Hotel accommodation Insured vehicle met with accident/ stolen 200 kms away from the location provided in policy copy.
☐	Additional Limit of TPPD	Indemnify the Insured for an additional TPPD amount opted for damage to property other than the property belonging to the Insured or held in trust or in custody of Insured

Please take a moment to carefully check your policy details mentioned above and in the policy schedule. Kindly confirm that the same are in order. In case of discrepancies, please let us know immediately. You can write to us at rgicl.services@relianceada.com or call us on 022 48903009(Paid) for necessary changes/rectification. In the absence of any communication from you within a period of 15 days of receipt of this letter, we will consider that the issued policy is in order and as per your proposal. Non disclosure and/or misrepresentation of claims in the previous policy period can lead to cancellation of your policy or rejection of your claims.

(Note-Warranted that the Insured named herein/owner of the vehicle holds a valid Pollution Under Control (PUC) Certificate and/or valid fitness certificate, as applicable, on the date of commencement of the Policy and undertakes to renew and maintain a valid and effective PUC and/or fitness Certificate, as applicable, during the subsistence of the Policy. Further, the Company reserves the right to take appropriate action in case of any discrepancy in the PUC or fitness certificate.)

For Reliance General Insurance Co. Ltd.

Authorised Signatory

Reliance General Insurance Company Limited

RELIANCE GENERAL INSURANCE | Live Smart

Digitally signed by Reliance General Insurance Company Limited
Date: 2023.05.30

1800 3009 (Toll Free)
74004 22200 (WhatsApp)

Reliance Commercial Vehicles (Miscellaneous & Special Type) Package Policy- Schedule

Policy Number: 110822323430005871	Proposal/Covernote No: R30052350632
Insured Name :MRS.KOUSHLYA WO OM PRAKASH	Period of Insurance: From 15:33 Hrs on 30-May-2023 to Midnight of 29-May-2024
Communication Address & Place of Supply : VILLAGE DEVKHAT,POST NAUGARH DIST CHANDAULI,,,UTTAR PRADESH,,INDIA,232110	Policy Issuing Branch : APPLE PLAZA, UNIT NO. 301, 302 AND 303, SENAPATI BAPAT MARG, DADAR WEST , MUMBAI,,MAHARASHTRA, 400028
Mobile No :7607768227	Tax Invoice No. & Date : R30052350632 & 30 May 2023 17:03
Email-ID : SANJAYMAURYA9964@GMAIL.COM	GSTIN/UIN of the Insured :

Insured Vehicle Details

Registration No.	NEW	Mfg. Month & Year	JAN-2023
Make / Model & Variant	Mahindra/475 & DI Xp Plus	CC / HP	44
Engine No./Chassis No.	RNJ5NDA1685/MBNGAAJKAPRK01061	GVW	1480
Type of Body / LCC(excluding driver)	NA/0	Manufacturer fully build In	Yes
RTO Location	UTTAR PRADESH - Chandauli	Total Premium ₹	11472.00
Vehicle subtype	AGRICULTURAL TRACTORS	IDV ₹	703000.00
Hypothecation/Lease	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd ,Chandauli		

Insured Declared Value (IDV)

Chassis IDV ₹	0.0	Non Electrical Accessories ₹	0.0
Body IDV ₹	0.0	CNG / LPG Kit ₹	0.0
Vehicle IDV ₹	703000	Trailer ₹	0.0
Electrical / Electronic Accessories ₹	0.0	Total IDV ₹	703000.00

Premium Summary

Own Damage - Section I	Amount(₹)	Liability - Section II	Amount(₹)
Basic OD	2091.43	Basic Liability (TPPD 1)	7267.00
Covers for Lamps Tyres/Tubes Mudguards/Bonet/Side parts etc (IMT-23)	313.71	Total Basic Liability Premium	7267.00
Total Basic Own Damage Premium	2405.14	PA Benefits - Section III	
TOTAL OWN DAMAGE PREMIUM	2405.14	Legal Liability to paid driver and/or Conductor and/or cleaner	50.00
		TOTAL LIABILITY PREMIUM	7317.00
		TOTAL PACKAGE PREMIUM (Sec I + II + III)	9722.00
		IGST (@18.00 %)	1750.00
TOTAL PREMIUM PAYABLE (₹)			11472.00

Subject to I.M.T.Endt.Nos. & Memorandum printed/herein/attached hereto. IMT 47,40,23,21,7

GSTIN :27AABCR6747B1ZG,
HSN :997134,Description of services :Motor vehicle Insurance Service

"As per the GST regulations, the amount of GST will not be refunded if the policy / endorsement is cancelled after 30th September of the next financial year"

Consolidated Stamp duty Paid vide Letter of Authorisation "NO.LOA/CSD/662/2023/(Validity Period Dt.27/03/2023 to Dt.01/12/2023)/1156 DT.27 MAR 2023" at General Stamp Office, Mumbai.** Not Applicable for the State of Jammu & Kashmir

Intermediary Code/Name	Intermediary Contact No.	Intermediary E-mail ID	POS UID Aadhaar No. / PAN No.
11BRG161 / Mahindra Insurance Brokers Ltd	9388396420	paybima.care@mahindra.com	IAKPK8581E

Special Conditions : This Tractor is rated as an agricultural tractor based on information of exclusive use for agricultural purpose provided to the Agent/ Sales Manager. Should this be incorrect or any change in usage subsequent to policy issuance, insured is required to inform company within 7 days with difference premium payment. If no such premium is received, Company shall not be liable under the policy for Non Agricultural Use of the Vehicle.

RELIANCE GENERAL INSURANCE | Live Smart

022-4890 3009 (Paid)
1800 3009 (Toll Free)
74004 22200 (WhatsApp)

If yes, please attach certificate of Installation in the vehicle, issued by Automobile Association of India.

3. Are you a member of Automobile Association of India? If yes, please submit membership copy.	☐ Yes	☑ No
1. Whether the Vehicle is used for Driving Tuitions?	☐ Yes	☑ No
1. Whether use of Vehicle is limited to Own Premises?	☐ Yes	☑ No
1. Whether the commercial vehicle is also used for Private purposes (excluding use for hire or reward)?	☐ Yes	☑ No
2. Are you entitled to No Claim Bonus ? If Yes, please submit proof thereof	☑ Yes	☑ No
3. Whether the Vehicle is fitted with Fibre Glass Tank?	☐ Yes	☑ No
4. Whether the Vehicle belongs to the Embassy/Consulate of a Foreign Country? If so, is the duty element included in the IDV?	☐ Yes	☐ No
5. Whether the Vehicle is design for use of Blind/Handicapped/Mentally Challenged Person?	☐ Yes	☑ No
36. Date of purchase of the Vehicle by the Proposer	30-May-2023	
37. Whether the vehicle at the time of the purchase was	☐ New	☐ Second hand
37. Whether the Vehicle at the time of purchase was	☐ New	☐ Second Hand

Risk Inclusions

38. Liability to third parties: The policy provides Third Party Property Damage (TPPD) of ₹ 1 lakh (Two wheelers) and ₹ 7.5 lakhs (other class of vehicles)

Do you wish to restrict the above limits to the statutory TPPD Liability limit of ₹ 6000/- only?	☐ Yes	☑ No
Do you wish to cover legal liability to?		
(a) Driver/Conductor /Cleaner (No. of persons)	☐ Yes	☐ No
(b) Other employees (No. of Persons)	☐ Yes	☐ No
(c) Non-fare paying passenger (No. of persons)	☐ Yes	☐ No
39. Do you wish to include personal Accident (P.A.) Cover for paid drivers, cleaners and conductors?	☐ Yes	☐ No

If Yes, give name and Capital Sum Insured (CSI) opted for. The maximum CSI available per person is ₹ 1 Lakh in the case of Motorised two-wheelers and ₹ 2 lakhs for other classes of vehicles.

40. Personal Accident Cover for Owner Driver. Please give details of nomination

Name	Name of Nominee	Age of Nominee	Name of Appointee (If Nominee is Minor)	Relationship	Address

(Note: 1. Personal Accident cover for owner driver is compulsory for Sum Insured of ₹15,00,000/- for Two Wheeler, Private Car, GCV, PCV and Misc-D
2. Compulsory PA cover for owner driver cannot be granted where a vehicle is owned by a company, a partnership firm or a similar body corporate or where the owner-driver does not hold an effective driving license)

41. Do you wish to include Personal Accident cover Named Persons? ☐ Yes ☐ No

Name	CSI Opted	Name of Nominee	Age of Nominee	Name of Appointee (if Nominee is Minor)	Relationship	Address

42. Extension of Geographical Area:
Whether extension of Geographical Area to the following countries required?

☐ 1. Bangladesh ☐ 2. Bhutan ☐ 3. Maldives ☐ 4. Nepal ☐ 5. Pakistan ☐ 6. Sri Lanka

Details of Hire Purchase / Hypothecation / Lease

43. Please state if the vehicle is under ☐ Hire purchase ☐ Lease Agreement ☐ Hypothecation Agreement

If so, give name and address of concerned parties.

44. Full Name M/s MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD
45. Address CHANDAULI

Insured's Declared Value (IDV) of vehicle	Non - electrical accessories fitted to the vehicle	Electrical accessories fitted to the vehicle	Value of CNG/ LPG Kit Bi Fuel	Total Value

Reliance General Insurance Company Limited

18. Gross Vehicle Weight (GVW)/Cubic Capacity (C.C.) 1480
19. Goods type (Applicable only if GVW+7500kgs) ☐ Hazardous Goods ☐ Non-Hazardous Goods
20. Is the Vehicle made in India? ☑ Yes ☐ No
21. Max. Licensed carrying capacity (No. of Passengers) in case of Passenger carrying vehicles 0
22. Vehicle Category ☐ Bus ☐ Taxi
    Vehicle usage type (Applicable if bus) : ☐ Contract Carriage ☐ Stage Carriage ☐ Private Usage
    Vehicle usage sub type (Applicable if Contract Carriage): ☐ School Bus ☐ Employee pickup Bus ☐ Others
23. Seating capacity (Including Driver) 1

Details of the Vehicle Type and Use

24. a. Whether the Vehicle is driven by Non-conventional source of power? ☐ Yes ☐ No If yes ☐ Bi Fuel ☐ CNG ☐ LPG

Insured's Declared Value (IDV) of vehicle		Non - electrical accessories fitted to the vehicle	Electrical accessories fitted to the vehicle	Value of CNG/ LPG Kit Bi Fuel	Total Value
Chassis	Body	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	703000.00

Do you have a valid PUC? ☑ Yes ☐ No

(Note-Warranted that the insured named herein/owner of the vehicle holds a valid Pollution Under Control (PUC) Certificate and/or valid fitness certificate, as applicat on the date of commencement of the Policy and undertakes to renew and maintain a valid and effective PUC and/or fitness Certificate, as applicable, during the subsistence of the Policy. Further, the Company reserves the right to take appropriate action in case of any discrepancy in the PUC or fitnesscertificate.)

25. Details of Driver : (a) Age of Owner Driver ________ Others ________

(b) Does the driver suffer from defective vision or hearing or any physical infirmity. ☐ Yes ☐ No
    If "Yes" please give details.
    ____

(c) Has the driver ever been involved for causing any accident or loss? ☐ Yes ☐ No
    If "Yes" please give details as under including the pending prosecution, if any:-
    ____

(d) D.O.B

26. Add On Covers (Subject to availability and eligibility)
    (a) Easy Monthly Instalment (EMI) Protection Cover: (RGI-MO-A00-00-17-V01-14-15) ☐ Yes ☐ No
    If Yes, please choose any one option;
    ☐ Plan I - 1 EMI, EMI Amount: ₹________ ☐ Plan II - 2 EMIs, EMI Amount: ₹________
    ☐ Plan III - 3 EMIs, EMI Amount: ₹________

    (b) Additional Towing Charges ☐
    (c) Nil Depreciation Cover: ☐
    (d) Total Cover ☐
    (e) Voluntary Deductible ☐
        Voluntary Deductible amount opted ☐
    (f) Emergency Hotel Accommodation
        Benefit Amount: ₹0.0 ☐
    (g) Additional Limit of TPPD
        Additional Limit opted: ₹0.0 ☐
    (h) Personal Belongings Cover
        Benefit Amount: ₹0.0 ☐
    (i) Daily Allowance Benefit
        Per day allowance amount opted: ₹0.0 ☐
        Coverage Days opted: 0
    (j) Daily Allowance Benefit Plus
        Per day allowance amount opted: ₹0.0 ☐
        Coverage Days opted: 0
    (k) Tools and Equipment Cover ☐
    (l) Any other Details ☐

. Is the vehicle fitted with any Anti-theft device approved by the ARAI? ☐ Yes ☑ No

RELIANCE GENERAL INSURANCE | Live Smart

relianceGeneral.co.in
022-4890 3009 (Paid)
1800 3009 (Toll Free)
74004 22200 (WhatsApp)

Proposal Form for POS Reliance Commercial Vehicles Package Policy

(Other than Motor Trade Internal Risks Policy)

(The queries made/details stated below are the minimum requirement to be furnished by a proposer. The Insurer may seek any other information as desired for under for underwriting purpose.)

*(Applicable to all classes of vehicles with suitable amendments in 'Limitations as to Use')

☐ PCV ☐ GCV ☑ MISC D ☐ Trailer

For Office Use Only

Policy Number 110822323430005871 Date

Savvion Reference No Inspection Lead No.

Intermediary Details (To be filled in BLOCK LETTERS)

Intermediary Name	MAHINDRA INSURANCE BROKERS LTD	Code	11BRG161
Branch Name	Mahim	Code	1108
Sales Manager Name	Sonu Tiwari	Code	71002205
*POS PAN No.	IAKPK8581E	*POS UID Aadhaar No.	

Details (To be filled in BLOCK LETTERS)

1. This Proposal is for ☐ A new Policy ☐ Renewal of Policy ☐ Endorsement ☐ Others (Please specify)

2a. Proposer's Full Name ☐ Mr. ☑ Mrs. KOUSHLYA WO OM

2b. Address

	Address for Communication	Address where Vehicle is Normally Kept and Used
Flat/Building/Door/Block No.	Village DevkhatPost Naugarh Dist Chandauli	
Road/Street/Sector		
Nearest Landmark		
Area		
City		
Pin Code	232110	
State	UTTAR PRADESH,	
Country	India	
Phone		Mobile 7607768227
Emergency Contact No.		Blood Group
Email	SANJAYMAURYA9984@GMA	Fax

3. Period of Insurance From 30/05/2023 To 29/05/2024

4. Source of Funds ☐ Business ☑ Profession ☐ Salary ☐ Agricultural Income ☐ Savings ☐ Others

5. Monthly Income ☐ Upto ₹ 20,000 ☐ ₹ 20,001 to ₹ 50,000 ☐ ₹ 50,001 to ₹ 1,00,000 ☐ ₹ 1,00,001 and above

6. UID Aadhaar No. 7. PAN No. IAKPK8581E

Details of the Vehicle

8. Registration Number	NEW	9. Date of Registration	30-May-2023
10. Registering Authority & Location	UTTAR PRADESH -		
11. Year & Month of Manufacture	JAN-2023	12. Cubic Capacity	44
13. Engine Number	RNJ5NDA1685		
14. Chassis Number	MBNGAAJKAPRK01061	17. Seating Capacity Including Driver	1
15. Make of Vehicle	MAHINDRA		
16. Type of Body/Model	NA/475		

Reliance General Insurance Company Limited

अन्तर्गत ... वाहन ... 2. पंजीकरण ... चेचिस नं0

RELIANCE GENERAL INSURANCE | Live Smart

relliancegeneral.co.in
022-4890 3009 (Paid)
1800 3009 (Toll Free)
74004 22200 (WhatsApp)

Know your Policy

Remember to carefully go through the Risk Assumption Letter and confirm your personal as well as your vehicle details.

In case of any discrepancy in the policy details, kindly revert within 15 days from the policy start date on 022 48903009 (Paid)) or visit any of our branches. Kindly refer to the Key Feature Document and Policy Wording at www.reliancegeneral.co.in to understand your policy better and learn more about the policy coverages, add-on covers and Policy Exclusion. This document is a statement of the specific provisions that form the Terms and Conditions of this Policy.

What documents do you require for making any change to your Policy

1. Changes in vehicle make & model/cubic capacity/seating capacity/engine & chassis no./year of manufacture/registration no./ location/address

Documents required: Letter for change, policy copy and registration certificate copy along with additional premium cheque, if applicable.

2. Changes in electrical and non electrical accessories/CNG/LPG kit

Documents required: Letter for addition, policy copy, invoice copy of accessories, endorsed registration certificate copy (for CNG/LPG kit) and cheque for additional premium.

3. Changes in financier details (Hypothecation/Lease/Hire purchase)

Documents required: Letter for change, policy copy, endorsed registration certificate copy and no objection certificate from financier (not mandatory for deletion, if registration certificate copy is endorsed).

How to register a Claim - Cashless

Report vehicle at Network Garage → Claim registration by Network Garage → Survey, Document verification, Loss Assessment & Re-inspection → Cashless Amount Confirmation → Vehicle Delivery

How to register a Claim - Reimbursement

Registration of Claim → Report Vehicle at Garage → Survey,Document verification,Loss Assessment and Re-inspection → Vehicle Delivery → Submission of Original Repair Bills + Payment Receipt → Claim Settlement to Customer

What documents do you require to register a Claim

1. Claim form duly filled and signed (company stamp in case of company registered vehicles)
2. Registration copy
3. Driving License of the driver at the time of loss
4. Policy copy
5. Vehicle fitness certificate
6. Vehicle route permit
7. Vehicle carriage permit
8. Road tax copy
9. Load Challan (if applicable)

Note: 1. As soon as a claim occurs, please intimate immediately at our call centre 022 48903009 (Paid). Delay in intimation would result in the violation of policy condition.

2. Any additional document, if required, will be informed.

How to renew your policy conveniently

- www. — Visit reliancegeneral.co.in and renew online
- Call 1800 3000 and renew
- Submit a cheque/DD along with signed Renewal Notice to branch/agent and renew

Payment Modes

- Internet banking
- Cheque/DD
- Credit/Debit Card

Reliance General Insurance Company Limited

RELIANCE GENERAL INSURANCE | Live Smart

reliancegeneral.co.in
022-4890 3009 (Paid)
1800 3009 (Toll Free)
74004 22200 (WhatsApp)

Chassis	Body	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	703000.00

Note

The Insured's Declared Value (IDV) of the vehicle will be deemed to be the 'SUM INSURED' for the purpose of this tariff and it will be fixed at the commencement of each policy period for each insured vehicle.

The IDV of the vehicle is to be fixed on the basis of manufacturers' listed selling price of the brand & model as the vehicle proposed for insurance at the commencement of insurance / renewal, and adjusted for depreciation as per policy wordings.

Details of Previous Insurance

46. Full Name of previous insurer
47. Address -
48. Policy Number — Previous policy Expiry
49. Type of cover: ☑ Package Policy ☐ Liability Only ☐ Other (To be describe) ________
50. NO CLAIM BONUS allowed under previous policy (%) 0.0
51. Claims taken in previous policy ☐ Yes ☐ No

    If yes, No. of Claims ________ Claims Amount ₹ ________
52. Are you entitled to No Claim Bonus ☐ Yes ☑ No

    If yes, please submit/attached proof thereof

Payment Details

☐ Cheque / DD ________ Cheque / DD No.

Cheque/DD Date ________ ☐ Cash ☐ Credit Card ☐ Others________

Proposer's Bank Details

53. Name of the Bank Account Holder ________
54. Bank Account No.: ________ 54. Account: ☐ Saving ☐ Current
56. Name of the Bank
57. Branch ________
58. MICR Code (9 digit MICR code number of the bank and branch appearing on the cheque issued by the bank) ________
59. IFSC Code (11 character code appearing on your cheque leaf) ________

I understand that any refund due on the premium payment / any payment / claims to be directly credited to my aforesaid Bank Account.*

*As per IRDAI, its mandatory that all payments made to the insured are only through electronic mode.

Declaration by Proposer

I/We hereby declare that the statements made by me/us in this Proposal Form are true to the best of my/our knowledge and belief and I/We hereby agree that this declaration shall form the basis of the contract between me/us and RELIANCE General Insurance Company Limited. I/We also declare that, if any additions or alterations are carried out after the submission of this proposal form, then the same would be conveyed to the insurers immediately. I/We hereby declare that the contents of the form and documents have been fully explained to me/us and that I/We have fully understood the significance of the proposed contract. I/We agree to accept a policy subject to the condition prescribed by the company. • I have read and understood the brochure, prospectus, sales literature & Policy wordings and confirm to abide by the same. • I/We declare that the rate of NCB stated above by me/us is correct and that no claim has arisen in the expiring policy (copy of the policy enclosed). • I/We further undertake that, if this declaration is found to be incorrect, all benefits under the policy in respect of section I of the policy will stand forfeited. • I/We further understand and agree that RELIANCE General Insurance will seek confirmation of above stated details from my/our previous insurers. Pending receipt of necessary confirmation, I/We agree that, though coverage under the policy will be available to me/us, RELIANCE General Insurance will be liable to release the payment towards any claims under section I of the policy only after a confirmation in this regard is received. In the event this declaration is found to be incorrect, any and all coverage available under section I of the policy from the date of commencement of the policy shall stand automatically forfeited. Further, any survey arranged/allowed by RELIANCE General Insurance of the motor vehicle, pending confirmation of the declaration from my/our previous insurers, shall be without prejudice to any of the rights and remedies available to RELIANCE General Insurance as contained herein and under the relevant laws and regulations. • I/We acknowledge and agree that, Pending receipt of confirmation of the declaration from my/our previous insurers, the "cash-less repair facility" provided by RELIANCE General Insurance shall stand suspended. • I/We also shall endeavour to procure the renewal notice and pass on the same to RELIANCE General Insurance immediately upon the receipt of such renewal notice. Mode of Payment: Secure your payment by cheque/DD favouring Reliance General Insurance CO.Ltd. This policy shall be voidable at the option of the Company in the event of mis-representation, mis-description of nondisclosure of any material particulars by the Proposer. Any person who, knowingly and with intent to defraud the Insurance Company or other persons, files a proposal fo insurance containing any false information, or conceals for the purpose of misleading, Information, Information concerning any fact material thereto, commits a fraudulent act which will render the policy voidable at the company's sole discretion and result in a denial of insurance benefits.• I/We here by state that the above mentioned address shall be taken as address on record for the purpose of GST. • I/We hereby confirm that the contents of the proposal form and connected documents have been fully explained to me/us and I/We have fully understood the significance of the proposed contract

This proposal form was completed by

You can support our Go Green Initiative by saying "No" to Policy kit, Renewal Notice and Other Communications hard copy. We will be sending you a digitally signed soft copy on your registered Email ID & Mobile number.

Hard copy required ☐ Yes ☐ No

Name ________ Place : ________

RELIANCE GENERAL INSURANCE | Live Smart

relianceyeneral.co.in
022-4890 3009 (Paid)
1800 3009 (Toll Free)
74004 22200 (WhatsApp)

Date : 30 May 2023 17:03

Signature

Date : 30 May 2023 17:03

Signature of Proposer & Company Seal

Prohibition of Rebates - Section 41 of the Insurance Act, 1938 as amended by Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

1. No person shall allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person to take out or renew or continue an insurance in respect of any kind of risk relating to lives or property in India, any rebate of the whole or part of the commission payable or a rebate of the premium shown on the policy, nor shall any person taking out or renewing or continuing a policy accept any rebate, except su rebate as may be allowed in accordance with the published prospectuses or tables of the insurer.
2. Any person making default in complying with the provisions of this section shall be liable for a penalty which may extend to ten lakh rupees

Supporting Confirmation of Agent/Broker/SM/CSO

I confirm the above signature to be of the registered owner of the vehicle proposed for insurance

Name of IRDA Agent/Broker ☐ Mr. ☐ Mrs.

Place :

Date :

(In case of Direct Business, Name & Signature of CSO / SM to be taken)

Signature of IRDAI Agent/Broker

Reliance General Insurance Company Limited

भारतीय वन (उ0प्र0 संशोधन) अधिनियम 2001 की धारा 52(क) के अन्तर्गत सूचना
न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

अधिहरण वाद संख्या : 75/2023
रेंज : नौगढ़ रेंज

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

बनाम

विवेकानन्द पुत्र गुप्तेश्वर निवासी ग्राम–खलियारी, रायपुर, जनपद–सोनभद्र।
जुगलेश कुमार पुत्र सम्भू निवासी ग्राम–कराही, रायपुर, जनपद–सोनभद्र।
महेन्द्र सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह निवासी ग्राम–तेन्दुआ, रायपुर, जनपद–सोनभद्र।
कौशल्या देवी पत्नी ओमप्रकाश निवासी ग्राम देवखत (कैमाबांध), नौगढ़, जनपद–चन्दौली।

आपको सूचित किया जाता हैं कि दिनांक : 02.12.2023 को सायं: लगभग 04.00 बजे स्थान नौगढ़ रेंज अन्तर्गत के उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14ब में अवैध मोरंग खुदान एवं अवैध अभिवहन में संलिप्त 01 जे0सी0बी0 संख्या –UP64BT8982 तथा 03 ट्रैक्टर को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा पकड़कर थाना में बन्द किया गया। उक्त वन अपराध में वाहन का उपयोग वाहन स्वामी की जानकारी एवं इच्छा से किया गया है। वाहन से बरामद मौरंग (वन उपज) सरकार की सम्पत्ति है तथा वाहन एवं बरामद अन्य सम्पत्ति का प्रयोग वन उपज से सम्बन्धित वन अपराध में किया गया है, जे0सी0बी0 पंजीकरण संख्या UP64BT8982 , 03 ट्रैक्टर क्रमशः 1. पंजीकरण संख्या UP64AW9541 , 2. पंजीकरण संख्या UP64AU0654 , 3. ट्रैक्टर महेन्द्रा/475/Di Xp Plus इंजन नं0– RNJ5NDA1685 चेचिस्त नं0 –MBNGAAJKAPRK01061 तथा अन्य सम्पत्ति को वन उपज सहित पुलिस विभाग/वन विभाग द्वारा पकड़ा गया तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज द्वारा अभिग्रहित/सीज किया गया है। वन अपराध के सम्बन्ध में नौगढ रेंज में रेंज केस संख्या : 10/2023–24 , दिनांक : 02.12.2023 अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम–1927(यथा संशोधित 2000) की धारा–26 ,41, 42, 52 में पंजीकृत हुआ है। क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ वाहन स्वामी के स्वामित्व के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के उपरान्त उक्त वन अपराध में अभिग्रहित वाहन सहित समस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आप दिनांक : 25.12.2023 को स्वंय या अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न उपरोक्त अभिग्रहित जे0सी0बी0 पंजीकरण संख्या UP64BT8982 , 03 ट्रैक्टर क्रमशः 1. पंजीकरण संख्या UP64AW9541 , 2. पंजीकरण संख्या UP64AU0654 , 3. ट्रैक्टर महेन्द्रा/475/Di Xp Plus इंजन नं0– RNJ5NDA1685 चेचिस्त नं0 –MBNGAAJKAPRK01061 तथा अन्य अधिग्रहित सम्पत्ति राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया जाये। यदि आप उपरोक्त तिथि पर कारण स्पष्ट करने में असमर्थ रहे तो यह समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और उपरोक्त वाद नियमानुसार निस्तारित कर अभिग्रहित उपरोक्त सम्पत्ति को सरकार उत्तर प्रदेश, वन विभाग के पक्ष में अधिहरित कर दिया जायेगा।

नोटिस आज दिनांक : 10.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी
पत्रांक : 2751 / 10–केस रामनगर, दिनांक, दिसम्बर 13, ,2023

सेवा में,

मा0 सिविल जज (जू0डि0),
चकिया, जनपद–चन्दौली।

विषय : नौगढ़ रेंज केस संख्या– 10/2023–24 अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम–1927(यथा संशोधित 2000) की धारा–26, 41, 42 , 52ए के तहत अभिग्रहित वाहन जे0सी0वी0 पंजीकरण संख्या UP64BT8982 , 03 ट्रैक्टर क्रमशः 1. पंजीकरण संख्या UP64AW9541 , 2. पंजीकरण संख्या UP64AU0654 , 3. ट्रैक्टर महेन्द्रा/475/Di Xp Plus इंजन नं0– RNJ5NDA1685 चेचिस नं0 –MBNGAAJKAPRK01061 व उस पर लदे मोरंग (वन उपज) को अधिहरित किये जाने के सम्बन्ध में ।

मा0 महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक : 02.12.2023 को सायं: लगभग 4.00 बजे स्थान नौगढ़ रेंज अन्तर्गत के उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी ब्लाक कक्ष संख्या 14ब में अवैध मोरंग खुदान एवं अवैध अभिवहन में संलिप्त 01 जे0सी0वी0 संख्या –UP64BT8982 तथा 03 ट्रैक्टर को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा पकड़कर थाना में बन्द किया गया। उक्त वन अपराध में वाहन का उपयोग वाहन स्वामी की जानकारी एवं इच्छा से किया गया है। वाहन से बरामद मौरंग (वन उपज) सरकार की सम्पत्ति है तथा वाहन एवं बरामद अन्य सम्पत्ति का प्रयोग वन उपज से सम्बन्धित वन अपराध में किया गया है, जे0सी0वी0 पंजीकरण संख्या UP64BT8982 , 03 ट्रैक्टर क्रमशः 1. पंजीकरण संख्या UP64AW9541 , 2. पंजीकरण संख्या UP64AU0654 , 3. ट्रैक्टर महेन्द्रा/475/Di Xp Plus इंजन नं0– RNJ5NDA1685 चेचिस नं0 –MBNGAAJKAPRK01061 तथा अन्य सम्पत्ति को वन उपज सहित पुलिस विभाग/वन विभाग द्वारा पकड़ा गया तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज द्वारा अभिग्रहित/सीज किया गया है।

उक्त के प्रारम्भिक जांच में संज्ञान में आया है कि अभियुक्त द्वारा किया गया उक्त कार्य भारतीय वन अधिनियम–1927(यथा संशोधित 2000) की धारा–26 ,41, 42, 52 का उल्लंघन है जिसके सम्बन्ध में नौगढ़ रेंज में एच–2 केस संख्या : 10/2023–24 , दिनांक : 02.12.2023 अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम–1927(यथा संशोधित 2000) की धारा–26 ,41, 42, 52 में पंजीकृत हुआ है। क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ द्वारा उक्त वन अपराध में अभिग्रहित वाहन सहित समस्त सम्पत्ति के अधिहरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ द्वारा उक्त प्रकरण को इस कार्यालय में भारतीय वन अधिनियम–1927 (उत्तर प्रदेश संशोधन–2000) की धारा–52ए के तहत अधिहरण की कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया जिसे इस कार्यालय में वाद संख्या : 75/2023 के रूप में पंजीकृत करते हुए अधिहरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

उक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्तों द्वारा जे0सी0बी0 पंजीकरण संख्या UP64BT8982 , 03 ट्रैक्टर क्रमशः 1. पंजीकरण संख्या UP64AW9541 , 2. पंजीकरण संख्या UP64AU0654 , 3. ट्रैक्टर महेन्द्रा/475/Di Xp Plus इंजन नं0- RNJ5NDA1685 चेचिस नं0 –MBNGAAJKAPRK01061 का उपयोग उक्त वन अपराध में किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम–1927 (उत्तर प्रदेश संशोधन–2000) की धारा–26 व 52 के तहत गैर जमानती दण्डनीय अपराध है, तथा उक्त वन अपराध में प्रयुक्त वाहन जे0सी0बी0 पंजीकरण संख्या UP64BT8982 , 03 ट्रैक्टर क्रमशः 1. पंजीकरण संख्या UP64AW9541 , 2. पंजीकरण संख्या UP64AU0654 , 3. ट्रैक्टर महेन्द्रा/475/Di Xp Plus इंजन नं0- RNJ5NDA1685 चेचिस नं0 –MBNGAAJKAPRK01061 को भारतीय वन अधिनियम–1927 (उत्तर प्रदेश संशोधन–2000) की धारा–52ए के तहत अधिहरित किये जाने योग्य है।

अतः भारतीय वन अधिनियम–1927 (उत्तर प्रदेश संशोधन–2000) की धारा–52 डी के तहत महोदय से अनुरोध करना है कि उक्त प्रकरण में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता या अन्य किसी प्राविधानों के तहत, नौगढ़ रेंज द्वारा जारी एच–2 केस संख्या– 10/2023–24 दिनांक 02.12.2023 अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम–1927(यथा संशोधित 2000) की धारा–26 ,41, 42, 52 के तहत अनिग्रहीत वाहन जे0सी0बी0 पंजीकरण संख्या UP64BT8982 , 03 ट्रैक्टर क्रमशः 1. पंजीकरण संख्या UP64AW9541 , 2. पंजीकरण संख्या UP64AU0654 , 3. ट्रैक्टर महेन्द्रा/475/Di Xp Plus इंजन नं0- RNJ5NDA1685 चेचिस नं0 –MBNGAAJKAPRK01061 व उस पर लदे मोरंग (वन उपज) को छोड़े जाने हेतु प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार न किया जाय।

भवदीय,

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक– / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ रेंज , काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर, वाराणसी को उनके पत्रांक 83/10–केस दिनांक 09.12.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्राधिकृत अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2578 /26–25 रामनगर, दिनांक, दिसम्बर2, 2023

सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मझगाई रेंज।

विषय : अवैध खनन में संलिप्त जे0सी0बी0 को पकडे... जाने के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि नौगढ़ रेंज के नोनवट ब्लाक क0नं0–14 के अन्तार्गत पण्डी रोड पर जे0सी0वी0 मशीन द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था जिसकी शिकायत स्थनीय लोगो द्वारा उप जिलाधिकारी, नौगढ़ से की गई। उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी नौगढ़ द्वारा अवैध खनन में संलिप्त जे0सी0वी0 मशीन को पकड़ कर थाना नौगढ़ में खड़ा किया गया है।

अतः उक्त शिकायत के सम्बन्ध मं आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में थाने से सम्पर्क करते हुए प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी स्पष्ट तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय में उपलब्ध करायें।

(रणवीर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक :2578/ उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त शिकायती प्रकरण की जांच में क्षेत्रीय वन अधिकारी मझगाई रेंज को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रकरण में आप द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है, से तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराये।

(रणवीर मिश्र),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

15

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज, चकिया, चन्दौली

पत्रांक : 286 /10–1/2023–24, नौगढ़, दिनांक, दिसम्बर 5, ,2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग,
रामनगर, वाराणसी।

विषय : अवैध खनन में संलिप्त जे0सी0बी0 को पकड़े जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र संख्या–2578/26–25, दिनांक 02.12.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अनुरोध पूर्वक अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयक प्रकरण जो नौगढ़ रेंज से सम्बन्धित है, उक्त की जाँच दिनांक 03.12.2023 को की गयी। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नौगढ़ रेंज के नौगढ़ सेक्शन अन्तर्गत उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी वन ब्लाक कक्ष संख्या–14 ब जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, जी0पी0एस0 लोकेशन संख्या अक्षांश–24 51 47.20, देशान्तर–83 17 32.80 में लम्बाई–26.50 र0मी0, चौड़ाई 11.50 मीटर, गहराई–1.90 मीटर एवं उपरोक्त क्षेत्रान्तर्गत ही L प्रकृति के दूसरे स्थान पर लम्बाई–09.00 र0मी0, चौड़ाई 3.20 मीटर, गहराई–2.00 मीटर क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से खुदाई कर मोरंग निकाला जाना प्रकाश में आया। उपरोक्त क्षेत्र में किये गये खुदान कार्य के क्षेत्रफल को संज्ञान में लेकर लगभग 636.00 घ0मी0 मोरंग का खुदान कर निकाला जाना स्पष्ट हुआ, जिसके बीट प्रभारी श्री मटर (आदेश पालक) एवं अनुभाग अधिकारी नौगढ़ (सदर) जिसके प्रभारी श्री केशव सिंह यादव, वन दरोगा हैं।

प्रश्नगत बीट के प्रभारी एवं अनुभाग अधिकारी का भी यह दायित्व होता है कि उपरोक्त प्रकृति के गैर वानिकी कार्य के संज्ञान में आने पर तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक था, क्योंकि 636.00 घ0मी0 मोरंग का खुदान कार्य एक दिन में करके उसका ढुलान किया जाना कठिन कार्य है। यद्यपि सम्बन्धित स्टाफ द्वारा रेंज केस संख्या–10/2023–24, दिनांक 02.12.2023 इजरा किया गया है।

T.C.

2. प्रकरण में पुनः अवगत कराना है कि उपरोक्त प्रकरण तहसील दिवस के दौरान दिनांक 02.12.2023 को उपजिलाधिकारी, नौगढ़ के संज्ञान में आने पर उनके स्तर से नायब तहसीलदार, नौगढ़ एवं उनकी टीम के माध्यम से सम्बन्धित जे0सी0बी0 व तीन ट्रैक्टर व ट्रालियों पर लदे मोरंग को कब्जे में लेकर नौगढ़ थानान्तर्गत नौगढ़ थाना

आ0 क्षे0 का0 / प्र0व0अ0 05/12/2023

परिसर में अभिरक्षा में रख वैधानिक कार्यवाही की गयी। प्रकरण वन अपराध से जुड़ा होने के कारण क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज द्वारा उक्त वाहनों (जे0सी0बी0 मशीन व तीन ट्रैक्टर व ट्राली) को अपनी अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार कार्यवाही की गयी है। नौगढ़ रेंज स्तर से की गयी कार्यवाही के अभिलेखों की छायाप्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार विषयक प्रकरण की जाँच रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(पी0के0 सिंह),
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मझगाईं रेंज,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

सीजर रिपोर्ट

मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डी0) चकिया- चन्दौली
अपराध संख्या 10/2023-24

धारा भा0व0 अधि0-1927 की धारा-26
थाना नौगढ़
रेंज नौगढ़
जिला चन्दौली

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि उपरोक्त केस में धारा भारतीय वन अधिनियम की धारा- 26 अधिनियम 1927 के अर्न्तगत निम्नलिखित वस्तुयें सीज की गयी।

सीज की गयी वस्तुओं का विवरण

1- जे0सी0बी0 (एक अदद) नम्बर- UP64 BT 8982
2- लाल रंग की महिन्द्रा 475 DI XP PLUS ट्रैक्टर मय ट्राली सहित। चेचिस नं0- MBNGAAJKAPRK01061, इंजन नं0- RNJ5NDA1685
3- नीले रंग की स्वराज 744 XT ट्रैक्टर मय ट्राली सहित। चेचिस नं0- MBNBU53AAPTG68950, इंजन नं0- EZ 4001/SFG27331
4- नीले रंग की स्वराज 742 XT ट्रैक्टर मय ट्राली सहित। चेचिस नं0- MBNBT53ABNCF41699, इंजन नं0- DC3001/SEF[illegible]277

नाम व पता अभियुक्तगण–
1- नन्दू पुत्र रामसुन्दर, ग्राम- पड़री, पो0- रायपुर, जिला- सोनभद्र
2- भरत पुत्र बलिराम यादव, ग्राम- तेन्दुआ, पो0- रायपुर, जिला- सोनभद्र
3- चन्द्रजीत पुत्र महेन्द्र यादव, ग्राम- तेन्दुआ, पो0- रायपुर, जिला- सोनभद्र
4- कपिलदेव पुत्र ओमप्रकाश, ग्राम- कर्मबांध केसार पो0- नौगढ़ जिला- चन्दौली
5- सूरत पुत्र बलिराम यादव, ग्राम- तेन्दुआ पो0- रायपुर जिला- सोनभद्र

सीजर रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान्‌जी के समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नौगढ़ रेंज।

प्रतिलिपि–
1. प्रभागीय वन अधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपप्रभागीय वन अधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर–वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नौगढ़ रेंज।

प्रपत्र एच-2

क्रम संख्या......

1903 काशी वन्य

वन विभाग ...उत्तर – प्रदेश.... परिधि (सर्किल) ....मिर्जापुर.... खण्ड (डिविजन) ...जीव प्रभाग रामनगर-वाराणसी

वन्य अपराध भा० व० अधि० 1927 की धारा 26 प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० दिनांक 02/12/2023

नौगढ़ रेंज केस संख्या-10/2023-24

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान
① नन्दू पुत्र रामसुन्दर नि० ग्राम-पड़री, पो० रामपुर, सोनभद्र
② भरत पुत्र बलिराम यादव नि० ग्राम-तेनुआ, रामपुर सोनभद्र
③ चन्द्रजीत पुत्र महेन्द्र यादव नि० ग्राम तेनुआ, रामपुर सोनभद्र
④ कपिलदेव पुत्र ओमप्रकाश नि० ग्राम कर्माबांध देवपुर नौगढ़ जनपद चन्दौली
⑤ सुरज पुत्र बलिराम यादव नि०-ग्राम तेनुआ, रामपुर सोनभद्र

2. साक्षी का नाम स्वयं
श्री गौरव पाठक व०र०
श्री सुखेश सिंह व०र०
श्री मटर, आदेश पालक

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक
महोदय,
आज दिनांक-02.12.2023 को समय लगभग शाम 04:00 बजे मुखबीर द्वारा पता चला कि खरी नौगढ़ बीट के पंडी ब्लाक कक्ष संख्या 14 ख मे JCB मशीन द्वारा मोरंग का अवैध खुदान कर ट्रैक्टरों द्वारा ढुलान कार्य किया जा रहा है, सूचना पर विश्वास कर मौके पर पहुँचा गया तो पाया कि आरक्षित वन भूमि मे अवैध मोरंग खनन किया गया है, इस वन अपराध / अवैध खनन मे संलिप्त JCB मशीन व तीन ट्रैक्टर मय ट्राली को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा पकड़कर नौगढ़ थाने मे बन्द करा दिया है, लेकिन उक्त अवैध खनन आरक्षित वन भूमि मे किया गया है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-26 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उक्त JCB मशीन एवं तीनों ट्रैक्टर मय ट्राली को नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा रात्रि लगभग 08:15 बजे क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया, जिसे लाकर रेंज कार्यालय नौगढ़ परिसर मे खड़ा कर दिया गया है।
अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. मूल्य खनन की गयी मोरंग की मात्रा =>
① (26.50 × 11.50 × 1.90) मी० => 579.025 घ०मी०
② (9.0 × 3.20 × 2.0) मी० => 57.600 घ०मी०
योग = 636.625 घ०मी०

प्रार्थी
[हस्ताक्षर]
पप्पू सोनकर
(व०र०)
नौगढ़ रेंज
दि० 2-12-2023

5. चालान और अनुसंधान (इनवेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में विशेष कथन
सेवा मे, प्र० व० सं० महोदय की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित।
[हस्ताक्षर]
क्षेत्रीय वन अधिकारी नौगढ़ रेंज ... वन विभाग

① एक अदद JCB मशीन संख्या => UP 64 BT 8982
② तीन अदद ट्रैक्टर मय ट्राली सहित =>
I => लाल रंग की महिन्द्रा 475 DI XP PLUS
(चेचिस नं = MBNGAAJKAPRKO1061, इंजन नं => RNJ5NDA1685)
II => नीले रंग की स्वराज 744 XT

6. प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख

(चेचिस नं = MBNBU53AAPTG68950, इंजन नं =>EZ.4001/SFG27331)
III => नीले रंग की स्वराज 742 XT
चेचिस नं => MBNBT53ABNCF41899
इंजन नं => DC-3009/SEF07277

प्रति,
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
श्री संजय श्रीवास्तव।

आज दिनांक 02/12/2023 को उपजिलाधिकारी महोदय के मौखिक आदेश के क्रम में ग्राम नौगढ़ (पंडी भागी) में हो रहे अवैध खनन कर रहे लोगों को एक जेसीबी व 3 ट्रैक्टर मय मौरंग लदा हुआ थाना नौगढ़ को सुपुर्द किया गया। जिसकी लम्बाई-चौड़ाई लगभग 140 x 90 फिट एवं गहराई लगभग 10 फिट है को थाना नौगढ़ को सुपुर्द किया गया। अतः उपजिलाधिकारी / जिलाधिकारी चन्दौली के निर्देश के क्रम में उक्त वाहनों को आपको सुपुर्द इस आशय से किया जा रहा है कि यदि राजस्व वन में आप द्वारा कोई खनन हेतु आदेश दिया गया है तो उक्त वाहनों को सीलिंग करें व आदेश की प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें अन्यथा की दशा में वन एवं भूमि अधिनियम 2005 के क्रम में व अवैध खनन होने की दशा में उचित कार्यवाही कर तहसील नौगढ़ को अवगत करायें।

[signature]
02/12/23

[illegible] नौगढ़

आज दिनांक 02.12.2023 को उपजिलाधिकारी के नौगढ़ [illegible] के मौखिक आदेश के क्रम में ग्राम नोनवट (पंडीमार्ग) में [illegible] अवैध खनन की जांच हेतु भेजा गया जहां जे०सी०बी० [illegible] लगा कर ग्राम सभा नोनवट मे मोरंग की खुदाई की जा रही थी। मौके पर एक जेसीबी मशीन व आपरेटर सूरज पुत्र बालेराम यादव [illegible] ड्राइवर कपिल देव पुत्र ओम प्रकाश निवासी कमबॉंध, [illegible] [illegible] थाना रामपुर ; भरत पुत्र बालेराम [illegible] [illegible] मोरंग लदा हुआ तो खनन से संबन्धित कोई भी आदेश [illegible] प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः उक्त जेसीबी मशीन व तीन ट्रैक्टर व जिसमें खनन से संबन्धित कोई आदेश न प्रस्तुत करने पर थाना नौगढ़ को सुपुर्द किया गया।

[illegible] 02/12/023
ना० तहसीलदार
नौगढ़

नोट -- उक्त वाहनों को [illegible] उपजिलाधिकारी [illegible] आदेश के क्रम में थाना नौगढ़ को [illegible] गया है। [illegible]
नौगढ़ [illegible]

[illegible] के क्रम में उक्त [illegible] निर्देश के क्रम में [illegible] नौगढ़ [illegible] [illegible] [illegible] को कार्यवाही हेतु [illegible] [illegible] किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible]

सुपुर्दगी नामा

मैं वन विभाग का वन क्षेत्राधिकारी नौगढ़ आज
दिनांक 2-12-2023 को समय 15-46 pm पर जी०डी०
में [illegible] एक अदद जेसी० बी० तथा 3 अदद ट्रैक्टर
नायब तहसीलदार नौगढ़ द्वारा किया गया था जिसे
मैं कार्यवाही के लिये अपनी सुपुर्दगी में लेता हूँ

(हस्ताक्षर)
क्षे०व०अ०
नौगढ़
2-12-2023
समय- 8.15 बजे

प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2665 /10–केस रामनगर, दिनांक, दिसम्बर 07 ,2023

सेवा में,

श्री केशव सिंह यादव,
वन दरोगा,
द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज।

विषय : स्पष्टीकरण।

आप नौगढ़ रेंज अन्तर्गत दिनांक 12.10.2023 से नौगढ़ सेक्शन के प्रभारी हैं। आपके सेक्शन अन्तर्गत जे0सी0बी0 मशीन से अवैध खुदाई कर मोरंग निकाले जाने की शिकायत सम्पूर्ण समाधान दिवस दिनांक 02.12.2023 को उपजिलाधिकारी, नौगढ़ के संज्ञान में आने पर उनके स्तर से नायब तहसीलदार, नौगढ़ एवं उनकी टीम के माध्यम से सम्बन्धित जे0सी0बी0 व तीन ट्रैक्टर व ट्रालियों पर लदे मोरंग को कब्जे में लेकर नौगढ़ थानान्तर्गत नौगढ़ थाना परिसर में अभिरक्षा में रख वैधानिक कार्यवाही की गयी, किन्तु आपके स्तर से ससमय कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही वन अपराध के प्रति आपका कोई नियन्त्रण अपने अनुभाग पर है। उल्लेखनीय है कि इस वन अपराध की घटना दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के अंक दिनांक 04.12.2023 में भी प्रकाशित हुई।

प्रकरण की जाँच हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2578/26–25, दिनांक 02.12.2023 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज के पत्र संख्या–286/10–1, दिनांक 05.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी वन ब्लाक कक्ष संख्या–14 व जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, जी0पी0एस0 लोकेशन संख्या अक्षांश–24 51 47.20, देशान्तर–83 17 32.80 में लम्बाई–26.50 र0मी0 चौड़ाई 11.50 मीटर, गहराई–1.90 मीटर एवं उपरोक्त क्षेत्रान्तर्गत ही L प्रकृति के दूसरे स्थान पर लम्बाई–09.00 र0मी0 चौड़ाई 3.20 मीटर, गहराई–2.00 मीटर क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से खुदाई कर मोरंग निकाला जाना प्रकाश में आया। उपरोक्त क्षेत्र में किये गये खुदान कार्य के क्षेत्रफल को संज्ञान में लेकर लगभग 636.00 घ0मी0 मोरंग का खुदान कर निकाली गयी, जिसका अनुमानित मूल्य रु0 100.00 प्रति घ0मी0 की दर से रु0 63600.00 है। स्पष्ट है कि आपकी शिथिलता, उदासीनता एवं स्वयं के अनुभाग पर प्रभावी नियन्त्रण न होने के कारण विभाग को मु0 रु0 63600.00 की राजकीय क्षति हुई, जिसके लिए आप दोषी हैं तथा आप द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3 एवं वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस स्पष्टीकरण की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अपना लिखित उत्तर/प्रतिवेदन उचित माध्यम से इस कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत कर देवें। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आपका कोई लिखित उत्तर/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जायेगा कि आपके ऊपर लगाये गये उपरोक्त आरोपों के बचाव में आपको कुछ नहीं कहना है। तद्नुसार गुणावगुण के आधार पर रु0 63600.00 की राजकीय क्षति हेतु दोषी मानते हुए आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना राजकीय हित में होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रणवीर मिश्र),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक 2665 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस स्पष्टीकरण की एक प्रति श्री केशव सिंह यादव, वन दरोगा को हस्तगत कराकर द्वितीय प्रति पर उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं दिनांक युक्त पावती इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रणवीर मिश्र),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

o/c

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2666 /26–25 रामनगर, दिनांक, दिसम्बर 07 ,2023

सेवा में,

श्री मटर,
आदेश पालक,
द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नौगढ़ रेंज।

विषय : स्पष्टीकरण।

आप नौगढ़ रेंज अन्तर्गत दिनांक 28.08.2023 से उत्तरी नौगढ़ वीट के वीट प्रभारी हैं। आपके वीट के अन्तर्गत जे0सी0वी0 मशीन से अवैध खुदाई कर मोरंग निकाले जाने की शिकायत सम्पूर्ण समाधान दिवस दिनांक 02.12.2023 को उपजिलाधिकारी, नौगढ़ के संज्ञान में आने पर उनके स्तर से नायव तहसीलदार, नौगढ़ एवं उनकी टीम के माध्यम से सम्बन्धित जे0सी0वी0 व तीन ट्रैक्टर व ट्रालियों पर लदे मोरंग को कब्जे में लेकर नौगढ़ थानान्तर्गत नौगढ़ थाना परिसर में अभिरक्षा में रख वैधानिक कार्यवाही की गयी, किन्तु आपके स्तर से ससमय कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही वन अपराध के प्रति आपका कोई नियन्त्रण अपने अनुभाग पर है। उल्लेखनीय है कि इस वन अपराध की घटना दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के अंक दिनांक 04.12.2023 में भी प्रकाशित हुई।

प्रकरण की जाँच हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2578/26–25, दिनांक 02.12.2023 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज के पत्र संख्या–286/10–1, दिनांक 05.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज से करायी गयी। उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरी नौगढ़ वीट के पण्डी वन ब्लाक कक्ष संख्या–14 व जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, जी0पी0एस0 लोकेशन संख्या अक्षांश–24 51 47.20, देशान्तर–83 17 32.80 में लम्बाई–26.50 र0मी0 चौड़ाई 11.50 मीटर, गहराई–1.90 मीटर एवं उपरोक्त क्षेत्रान्तर्गत ही L प्रकृति के दूसरे स्थान पर लम्बाई–09.00 र0मी0 चौड़ाई 3.20 मीटर, गहराई–2.00 मीटर क्षेत्र में जे0सी0वी0 मशीन से खुदाई कर मोरंग निकाला जाना प्रकाश में आया। उपरोक्त क्षेत्र में किये गये खुदान कार्य के क्षेत्रफल को संज्ञान में लेकर लगभग 636.00 घ0मी0 मोरंग का खुदान कर निकाली गयी, जिसका अनुमानित मूल्य रु0 100.00 प्रति घ0मी0 की दर से रु0 63600.00 है। स्पष्ट है कि आपकी शिथिलता, उदासीनता एवं स्वयं के वीट पर प्रभावी नियन्त्रण न होने के कारण विभाग को मु0 रु0 63600.00 की राजकीय क्षति हुई, जिसके लिए आप दोषी हैं तथा आप द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3 एवं वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है।

एतदद्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस स्पष्टीकरण की प्राप्ति के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्त आरोप पत्र के बचाव में अपना लिखित प्रतिवेदन जाँच अधिकारी को अवश्य प्रस्तुत कर देवें। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आपका कोई लिखित प्रतिवेदन जाँच अधिकारी को नहीं प्राप्त होता है, तो यह समझा जायेगा कि आपके ऊपर लगाये गये उपरोक्त आरोपों के बचाव में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार गुणावगुण के आधार पर जाँच कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रणवीर मिश्र),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

पत्रांक 2666 / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, नौगढ़ रेंज को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे इस स्पष्टीकरण की एक प्रति श्री मटर, आदेश पालक को हस्तगत कराकर द्वितीय प्रति पर उनके स्पष्ट हस्ताक्षर एवं दिनांक युक्त पावती इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(रणवीर मिश्र),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 2667 /10–केस रामनगर, दिनांक, दिसम्बर 07 ,2023

सेवा में,

श्री संजय कुमार श्रीवास्तव,
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नौगढ़ रेंज।

विषय : स्पष्टीकरण।

आप काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन नौगढ़ रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी के पद पर दिनांक 04.10.2023 से कार्यरत हैं। आपके कार्यकाल में आपकी रेंज अन्तर्गत जे0सी0बी0 मशीन से अवैध खुदाई कर मोरंग निकाले जाने की शिकायत सम्पूर्ण समाधान दिवस दिनांक 02.12.2023 को उपजिलाधिकारी, नौगढ़ के संज्ञान में आने पर उनके स्तर से नायब तहसीलदार, नौगढ़ एवं उनकी टीम के माध्यम से सम्बन्धित जे0सी0बी0 व तीन ट्रैक्टर व ट्रालियों पर लदे मोरंग को कब्जे में लेकर नौगढ़ थानान्तर्गत नौगढ़ थाना परिसर में अभिरक्षा में रख वैधानिक कार्यवाही की गयी, किन्तु आपके स्तर से ससमय कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही वन अपराध के प्रति आपका कोई नियन्त्रण अपने अनुभाग पर है। उल्लेखनीय है कि इस वन अपराध की घटना दैनिक समाचार पत्र "अमर उजाला" के अंक दिनांक 04.12.2023 में भी प्रकाशित हुई।

प्रकरण की जाँच हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या–2578/26–25, दिनांक 02.12.2023 द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज से करायी गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, मझगाईं रेंज के पत्र संख्या–286/10–1, दिनांक 05.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरी नौगढ़ बीट के पण्डी वन ब्लाक कक्ष संख्या–14 ब जो आरक्षित वन क्षेत्र हैं, जी0पी0एस0 लोकेशन संख्या अक्षांश–24 51 47.20, देशान्तर–83 17 32.80 में लम्बाई–26.50 र0मी0 चौड़ाई 11.50 मीटर, गहराई–1.90 मीटर एवं उपरोक्त क्षेत्रान्तर्गत ही L प्रकृति के दूसरे स्थान पर लम्बाई–09.00 र0मी0 चौड़ाई 3.20 मीटर, गहराई–2.00 मीटर क्षेत्र में जे0सी0बी0 मशीन से खुदाई कर मोरंग निकाला जाना प्रकाश में आया। उपरोक्त क्षेत्र में किये गये खुदान कार्य के क्षेत्रफल को संज्ञान में लेकर लगभग 636.00 घ0मी0 मोरंग का खुदान कर निकाली गयी, जिसका अनुमानित मूल्य रु0 100.00 प्रति घ0मी0 की दर से रु0 63600.00 है। स्पष्ट है कि आपकी शिथिलता, उदासीनता एवं स्वयं का रेंज पर प्रभावी नियन्त्रण न होने के कारण विभाग को मु0 रु0 63600.00 की राजकीय क्षति हुई, जिसके लिए आप दोषी हैं तथा आप द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के नियम–3 एवं वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन किया गया है।

एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्पष्टीकरण की प्राप्ति के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अपना लिखित उत्तर/प्रतिवेदन उचित माध्यम से इस कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत कर देवें। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर आपका कोई लिखित उत्तर/प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जायेगा कि आपके ऊपर लगाये गये उपरोक्त आरोपों के बचाव में आपको कुछ नहीं कहना है। तदनुसार गुणावगुण के आधार पर रु0 63600.00 की राजकीय क्षति हेतु दोषी मानते हुए आपके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ किया जाना राजकीय हित में होगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रणवीर मिश्र),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।

Limits of liability	:	PA cover for owner driver under section III CSI ₹0.0(a) Under Section II (1)(i) of the Policy-Death of or bodily injury to any person so far as it is necessary to meet the requirements of the Motor Vehicle Act, 1988.(b) Under Section II (1)(ii) of the Policy-Damage to property other than property belonging to the insured or held in trust or in the custody of control of the insured up to the limits specified- (TPPD 1 Sum Insured - ₹ 7,50,000/-, TPPD 2 Sum Insured - ₹ 6,000/-).
Limitations as to use	:	The policy covers the use only under a permit within the meaning of Motor Vehicle Act, 1988 or such a carriage falling under sub-section (3) of Sec 66 of the Motor Vehicle Act, 1988. The Policy covers use for any purpose other than: (a) Organized racing (b) Pace making (c) Speed testing (d) Reliability trials.
Deductible under Section-I	:	(i) Compulsory deductible ₹3515.0/-(ii) Additional compulsory deductible ₹0 (iii) Voluntary deductible ₹ 0.0/-
Persons/Classes of persons entitled to drive	:	**When the vehicle is used for transport of goods** Any person including insured: Provided that a person driving holds a valid driving license at the time of the accident and is not disqualified from holding or obtaining such a license. Provided that the person holding a valid learner's license may drive the vehicle when not used for the transport of goods at the time of the accident and that such a person satisfies the requirements of Rule 3 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Compulsory PA cover for owner driver :
Insured is not eligible for the Compulsory PA cover for owner driver in this policy as the same has not been opted for the reasons allowed as per motor tariff and relevant circulars/notifications issued by the regulator in this regard.
In case you have missed it, please opt for the compulsory PA cover by payment of an additional premium of Rs. 750/-.Liability of Insurance company shall commence from the date of issuance of endorsement.

I/ We hereby declare that I/ we hold an effective Personal Accident Insurance Policy / Compulsory Personal Accident (CPA) for Owner-Driver in other vehicles covering Death & Permanent Disability (Total and Partial) whereby the Sum Insured limit is of 1500,000 or more.

I/ We hereby declare that I/ we do not hold a valid Motor Driving license, and I/We am/are aware that Compulsory Personal Accident covering Death & Permanent Disability (Total and Partial) for Owner-Driver of SI 1500,000 will not be applied to this policy.

"It is hereby declared and agreed that all pre-existing damages to the vehicle having occured prior to the commencement of cover are excluded from the scope of the policy"

The NCB provided is on Basic OD Premium excluding Add-on wherever applicable. The policy wording with detailed terms, conditions and exclusions are available on our website www.reliancegeneral.co.in

Statutory Provisions :
"As per Section 146 of the Motor Vehicle Act, 1988 it is Mandatory to have your vehicle insured against third party risk."
As per Section 196 of the Motor Vehicle Act, 1988 driving an uninsured vehicle is punishable with fine or Rs. 2000 and/or imprisonment up to 3 months for the first offence and fine of Rs. 4000 and/or imprisonment up to 3 months for the second offence."
I/We hereby certify that the Policy to which the certificate relates as well as this certificate of insurance are issued in accordance with the provision of Chapter X and Chapter XI of M.V. Act, 1988.

Note: In the event of dishonor of cheque, this policy document automatically stands cancelled from inception irrespective of whether a separate communication is sent or not.

Safeguard your transaction by paying your premium via crossed cheque/DD in favour of Reliance General Insurance Co. Ltd.
The policy has been issued based on the information provided by you and the policy is not valid if any of the information provided is incorrect. Subject otherwise to the terms, conditions and exclusions of the Reliance Miscellaneous and Special Types of Vehicles Package Policy Certificate Cum Policy Schedule. In witness whereof this Policy has been signed at Mumbai on policy tax invoice date in lieu of Proposal/Covernote No. as mentioned in the policy.

This document shall be treated as a Tax Invoice as per Rule 46 of the Central Goods and Services Tax Rules 2017.

Updating Registration Number of vehicles within 15 days of policy inception is MANDATORY as per IRDA. Kindly provide the same to your Agent/Our Call centre/Policy issuing Branch (Applicable for policies booked without Registration No of vehicles).

IMPORTANT NOTICE : The insured is not indemnified if the vehicle is used or driven otherwise than in accordance with this Schedule. Any payment made by the Company by reason of wider terms appearing in the Certificate in order to comply with the Motor Vehicle Act, 1988 is recoverable from the Insured. See the clause headed 'AVOIDANCE OF CERTAIN TERMS AND RIGHT OF RECOVERY'. For legal interpretation, English version will hold good.

In case of a renewal, the benefits provided under the policy and/or terms and conditions of the policy including premium rate may be subject to change.
As per National Highways Authority of India, kindly ensure to affixed FASTag on your vehicle.

Grievance Clause :- For resolution of any query or grievance, Insured may contact the respective branch office of the Company or may call at 1800 3009 or may write an email at rgicl.services@relianceada.com. In case the insured is not satisfied with the response of the office, insured may contact the Nodal Grievance Officer of the Company at rgicl.grievances@relianceada.com. In the event of unsatisfactory response from the Nodal Grievance Officer, Insured may email to Head Grievance Officer at rgicl.headgrievances@relianceada.com. In the event of unsatisfactory response from the Head Grievance Officer, he/she may, subject to vested jurisdiction, approach the Insurance Ombudsman for the redressal of grievance. Details of the offices of the Insurance Ombudsman are available at IRDAI website www.irda.gov.in or on company website www.reliancegeneral.co.in or on www.gbic.co.in. The insured may also contact the following office of the Insurance Ombudsman within whose territorial jurisdiction the branch or office of the Company is located.Office of the Insurance Ombudsman,3rd Floor,Jeevan Seva Annexe,S. V. Road,Santacruz (W), Mumbai - 400 054. Tel.: 022 - 26106552 / 26106960 Fax: 022 - 26106052 Email: bimalokpal.mumbai@gbic.co.in | Shri. A. K. Sahoo Office of the Insurance Ombudsman,Jeevan Darshan Bldg.,3rd Floor,C.T.S. No.s. 195 to 198,N.C. Kelkar Road,Narayan Peth, Pune – 411 030. Tel.: 020-41312555 Email: bimalokpal.pune@gbic.co.in

In the unfortunate event of a claim, please call quoting your Policy No. on 022 48903009(Paid) and register your claim immediately within 7days from the date of loss.

Reliance General Insurance Company Limited